न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 01/2023

प्रार्थी

1. श्री भूपालसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी भूखण्ड संख्या 112 आदर्श कॉलोनी, रॉयल राजस्थान स्कूल के पास, गांव उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री अशरफ पुत्र श्री अयूब खान जाति मुसलमान निवासी भूखण्ड संख्या 113, 114 आदर्श कॉलोनी, रॉयल राजस्थान स्कूल के पास, गांव उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री जयकिशन नाहटा पुत्र श्री पुष्करलाल नाहटा जाति नाहटा निवासी भूखण्ड संख्या 79, 80 आदर्श कॉलोनी, रॉयल राजस्थान स्कूल के पास, गांव उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री वहीद खां पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान निवासी गांव उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. नगर सुधार न्यास आबू जरिए सचिव नगर सुधार न्यास आबू कार्यालय आकराभट्टा, आबूरोड जिला सिरोही।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड जिला सिरोही।
4. श्रीमती भावना पत्नि श्री अशोक कुमार माली निवासी भीनमाल जिला जालोर।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. सुश्री शीतल लौहार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या चार की ओर से।
4. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 13.04.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिए अधिवक्ता यह आवेदन पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा उमरणी पटवार हल्का मानपुर, तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 135 मीन रकबा 0.10 बीघा किस्म नहरी प्रथम भूमि आई हुई है, जो उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्री वहीद खां पुत्र श्री बशीर खां निवासी उमरणी के नाम आवंटन की गई है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या एक की ओर

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 02

से अधिवक्ता सुश्री शीतल लौहार द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस तामिल होने के बावजूद भी उपस्थिति नहीं दी गई। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि का बेचान श्रीमती भावना पत्नि श्री अशोक कुमार माली निवासी भीनमाल जिला जालोर के पक्ष में किए जाने से प्रार्थी पक्ष द्वारा श्रीमती भावना पत्नि श्री अशोक कुमार माली निवासी भीनमाल जिला जालोर को प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने हेतु आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा श्रीमती भावना पत्नि श्री अशोक कुमार माली निवासी भीनमाल जिला जालोर को अप्रार्थी संख्या चार के रूप में पक्षकार बनाए जाने के आदेश पारित किये गये। तदनुसार संशोधित अनवान प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी संख्या चार की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा उमरणी पटवार हल्का मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 135 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन नाला के रूप में स्थित है, जो कि संवत 2029 की जमाबन्दी व राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। यह कि उक्त खसरा संख्या 135 की नाले की भूमि अन्य खसरा नंबरों की नाले की भूमि से जुडी हुई हैं और उक्त नाले की भूमि से बरसाती पानी व अन्य पानी बहता हैं। यह कि उक्त खसरा संख्या 135 की नाले की भूमि के पास ही उससे लगती हुई खसरा संख्या 130/1 130/2 130/3 130/4 130 मीन, 131/1, 133/1, 133/2 133/3 134/1 131 मीन, 133 मीन, 134 मीन, 132 की संपरिवर्तित भूमि स्थित हैं, जिसमें बसी कॉलोनी में प्रार्थीगण व उनके परिवारजन व अन्य लोग अपने–अपने क्रयशुदा भूखण्डों पर बने मकानों में सपरिवार निवास करते हैं। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशनों यथा अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य, गुलाब कोठारी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य, जगदीश प्रसाद मीणा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य, में पारित निर्णयों व प्रतिपादित सिद्धान्तों अनुसार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य में पारित निर्णय व सिद्धान्तों अनुसार नदी, नाले, तालाब, रास्ते, गोचर, चारागाह इत्यादि किस्म की भूमि का आवंटन किसी भी दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है अर्थात् उपरोक्त किस्म की भूमि का आवंटन किसी व्यक्ति को किया जाना नियम विरूद्ध, गैरकानूनी व प्रारम्भतः शून्य होने से निरस्त योग्य हैं एवं ऐसी किस्म की भूमि के आवंटन या अविधिक तरीके से किस्म परिवर्तन करने के बाद किए गए आवंटन के बाद उस भूमि पर किए गए किसी भी प्रकार के कब्जे, निर्माण, अतिक्रमण इत्यादि को हटाया जाकर उस भूमि की स्थिति व किस्म पूर्ववत स्थिति में करने के आदेश भी उपरोक्त न्यायिक निर्णयों व उसके पश्चात् के अनेकों न्यायिक निर्णयों में माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यों को दिए हुए हैं। यह कि उपरोक्त विधिक स्थिति की अवहेलना करते हुए राजस्व विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों व अधिकारियों ने अविधिक व नियम विरूद्ध तरीके से मौजा उमरणी, पटवार हल्का मानपुर, तहसील आबूरोड के उक्त खसरा संख्या 135 की 02 बीघा 05 बिस्वा गैर मुमकिन नाले की भूमि में से 10 बिस्वा भूमि को खसरा संख्या 135 मीन के रूप में गैर मुमकिन नाला की भूमि से नहरी प्रथम में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर

....पेज नं. 03

जिला कलेक्टर, सिरोही

जाकर अविधिक रूप से परिवर्तित कर उस खसरा संख्या 135मीन की 10 बिस्वा भूमि को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूपर्वत के आदेश दिनांक 28.5.1992 के आधार पर अप्रार्थी संख्या एक वहीद खां पुत्र बशीर खां निवासी उमरनी को आवंटित होना बताकर उस आदेश के द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 ने उक्त खसरा संख्या 135 मीन की 10 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 वहीद खां पुत्र बशीर खां के नाम पर गैर खातेदारी में नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 04.08.1992 के द्वारा दर्ज की हैं और इस प्रकार उक्त 10 बिस्वा भूमि की किस्म गै.मु.नाले से नहरी–1 में परिवर्तित करके उसे आवंटित करने का जो कृत्य किया गया हैं, वह पूर्णतया विधि विरूद्ध व माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों की घोर अवहेलना की श्रेणी का है। यह कि इस प्रकार उपरोक्त खसरा संख्या 135 की नाले की भूमि में से 10 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 135 मीन के रूप में अप्रार्थी संख्या 01 वहीद खां के नाम पर गैर खातेदारी में दर्ज करने के बाद अप्रार्थी संख्या तीन ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 275 के द्वारा उक्त खसरा संख्या 135मीन की 10 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी संख्या एक के नाम पर गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज की हैं, जो भी उपरोक्तानुसार सरासर गलत व विधि विरूद्ध हैं। यह कि वर्तमान में उक्त खसरा संख्या 135 मीन का नया खसरा नंबर राजस्व अभिलेखों में खसरा नंबर 531/135 के रूप में अप्रार्थी संख्या एक के नाम पर दर्ज हैं तथा उक्त मूल खसरा नंबर 135 की शेष भूमि खसरा नंबर 135/1 व अन्य खसरा के रूप में अप्रार्थी संख्या 02 नगर सुधार न्यास आबू के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। यह कि अप्रार्थी संख्या एक वहीद खां व उसके पारिवारिक सदस्यों ने उपरोक्त खसरा संख्या 135मीन (531/135) की 10 बिस्वा नाला भूमि की आड़ में अप्रार्थी संख्या 02 नगर सुधार न्यास के नाम पर दर्ज खसरा संख्या 135/1 की नाले की शेष भूमि और खसरा संख्या 505/135 की भूमि पर भी गैर कानूनी रूप से अवैध अतिक्रमण कर दिया है और उसमें अवैध रीति से खेती बाडी का कार्य करके नाले की भूमि का स्वरूप काफी हद तक परिवर्तित कर दिया है और अभी भी कर रहे हैं, जिस कारण बरसाती पानी के बहाव में अवरोध व बाधाएँ उत्पन्न हो गई हैं और उस कारण बरसात का पानी आस–पास की कॉलोनियों में व रोड पर बहने लगता हैं व प्रार्थीगण व अन्य लोगों के परिसर में चला जाता हैं, जिससे प्रार्थीगण व उनके परिजनों को व अन्य आमजन को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा हैं। यह कि प्रार्थीगण व उनके परिजनों व आमजन को जैसे ही उपरोक्त विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या एक के नाम पर खसरा संख्या 135 की 10 बिस्वा गै.मु.नाला भूमि के आवंटन की और नाला भूमि व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की जानकारी हुई हैं, वैसे ही इस बाबत् विभिन्न स्तरों पर तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के समक्ष प्रार्थीगण व उनके परिजनों व अन्य लोगों ने शिकायत भी की है और प्रार्थीगण ने विधिक नोटिस भी अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को भिजवाया हैं, किन्तु अभी तक अप्रार्थी संख्या एक के नाम पर विधि विरूद्ध रूप से उपरोक्तानुसार नाला भूमि आवंटन की जो कार्यवाही हुई हैं, उसे निरस्त नहीं किया गया हैं जिस कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मौजा उमरनी, तहसील आबूरोड के खसरा नंबर 135 की 02 बीघा 05 बिस्वा गै.मु.नाला भूमि में से अप्रार्थी संख्या 01 वहीद खां पुत्र बशीर खां निवासी उमरनी को खसरा नंबर 135मीन की 10 बिस्वा भूमि (वर्तमान खसरा नंबर 531/135 की 10 बिस्वा भूमि) के रूप में किए गए आवंटन को निरस्त कर उक्त 10 बिस्वा भूमि को पुनः गै.मु.नाला भूमि के रूप में परिवर्तित कर अप्रार्थी संख्या 02 के नाम पर दर्ज किए जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 03 को प्रदानकर अनुगृहीत करावें।

....पेज नं. 04

जिला कलेक्टर, सिरोही

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता सुश्री शीतल लौहार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 135 का क्षेत्रफल 2 बीघा 5 बिस्वा कभी नहीं रहा है और ना उक्त भूमि कभी भी गैर मुमकिन नाला ही रही है। वक्त बंदोबस्त खसरा संख्या 109, 110 तथा 112 के काफी टुकड़े किए गए थे। खसरा संख्या 109 का क्षेत्रफल एक बीघा था। उक्त खसरा संख्या 109 के चार टुकड़े किए गए, जो खसरा संख्या 134 क्षेत्रफल 11 बिस्वा, खसरा संख्या 505/135 क्षेत्रफल 1 बिस्वा, खसरा संख्या 504/171 क्षेत्रफल 1 बिस्वा तथा खसरा संख्या 182 मी. क्षेत्रफल 6 बिस्वा बने। खसरा संख्या 110 के चार टुकड़े हुए, जो खसरा संख्या 125 क्षेत्रफल 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 505/135 क्षेत्रफल 9 बिस्वा, 134 मी. क्षेत्रफल 3 बिस्वा तथा 130 मी. क्षेत्रफल 2 बिस्वा बने। इसी प्रकार खसरा संख्या 112 के पांच टुकडे हुए, जो खसरा संख्या 137 क्षेत्रफल 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 136 मी. क्षेत्रफल 12 बिस्वा, खसरा संख्या 135 मी. क्षेत्रफल 11 बिस्वा, खसरा संख्या 138 मी. क्षेत्रफल 1 बिस्वा तथा खसरा संख्या 143 मी. क्षेत्रफल 1 बिस्वा बने। खसरा संख्या 135 का क्षेत्रफल उक्त विभाजन अनुसार मात्र 1 बीघा 9 बिस्वा था। यह कि खसरा संख्या 135 की भूमि में से कभी कोई नाला नहीं रहा है और ना कथित भूमि अन्य खसरा नंबरों की नाले की भूमि से जुडी हुई है। खसरा संख्या 135 नक्शे अनुसार मौके पर नहीं है। मौके पर भौतिक रूप से आबादी बस चुकी है और कोई बरसाती पानी अथवा नाला नहीं बहता है। प्रार्थीगण जिस भूमि को नाला होना दर्शा रहे है वह अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। यह कि खसरा संख्या 135 से लगती कोई संपरिवर्तित भूमि नहीं है। अप्रार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 531/135 की भूमि के पास स्थित संपरिवर्तित भूमि के भूखंडों के खरीददार प्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा खरीद किए गए भूखंड समचौरस नहीं थे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि में अतिक्रमण कर अपने तिरछे भूखंडों को समचौरस करने का प्रयास किया गया। जिसकी आपत्ति करने पर तथा अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने पर वैमनस्य पूर्वक प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि प्रार्थीगण उक्त भूमि को नाला भूमि होना मानते है तो उन्हें उक्त भूमि में मकान बनाने व कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं था। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशनों में पारित निर्णयों व प्रतिपादित सिद्धांतों अनुसार प्रतिबन्धित किस्म अप्रार्थी की भूमि की किस्म नहीं है और उक्त निर्णयों से अप्रार्थी की भूमि का कोई संबंध नहीं है और ना ही कथित निर्णय वर्तमान प्रकरण में प्रासंगिक ही है। यह कि खसरा संख्या 135 का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख के अनुसार 1 बीघा 14 बिस्वा था। उक्त खसरा संख्या 135 की भूमि में से अंश मात्र भूमि भी राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा परिवर्तित नहीं की गई है। खसरा संख्या 135 की भूमि पुराने खसरा संख्या 110 की भूमि का हिस्सा थी तथा खसरा संख्या 135 मीन की भूमि पुराने खसरा संख्या 112 की भूमि का हिस्सा थी। उक्त खसरा संख्या 112 की भूमि श्री नानू वल्द फुला कुम्हार के खातेदारी की भूमि थी। भूमि के टुकड़े बंदोबस्त विभाग द्वारा करीब 70 वर्ष पूर्व किए गए थे। खसरा संख्या 135 तथा खसरा संख्या 135 मीन का परस्पर कोई संबंध कभी नहीं रहा है। अतः राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर परिवर्तित करने का कथन ही झूठा व औचित्यहीन है। यह कि उक्त भूमि खसरा संख्या 135 मीन के रूप में गैर मुमकिन नाला भूमि कभी नहीं रही है। खसरा संख्या 135 मीन आरंभ से नहरी प्रथम किस्म की भूमि है, जिसका क्षेत्रफल 11 बिस्वा था। उक्त भूमि का कोई आवंटन उपखंड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा नहीं किया जाकर विधि अनुसार समिति द्वारा किया गया था। उक्त भूमि खसरा संख्या 135 मीन नहरी प्रथम किस्म

....पेज नं. 05

की होने से आवंटित होने के योग्य थी। उक्त आवंटित भूमि का गैर खातेदारी में नियमन अनुसार नामांतरकरण दर्ज किया गया। उपखंड अधिकारी का आदेश दिनांक 28.05.1992 विधिक प्रक्रिया अनुसार था। प्रार्थीगण ने स्वयं अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 135 मी. जिसका वर्तमान नंबर 531/135 है, में अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया है, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा पुलिस थाना आबूरोड में परिवाद दायर करने तथा सहायक जिलाधीश, आबूरोड न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर प्रार्थीगण ने दुराशय पूर्वक उक्त आवेदन पेश किया है। यह कि प्रश्नगत खसरा संख्या 135 मी. की भूमि गत करीब 50 वर्षो से अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या एक को विधि अनुसार आवंटित की गई और विधिक प्रक्रिया अनुसार ही अप्रार्थी संख्या एक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। उक्त भूमि के चारों ओर सुरक्षा हेतु कांटों की बाड़ की हुई है, जिस पर कब्जा व स्वामित्व अप्रार्थी संख्या एक व उसके परिवारजनों का निरंतर सदृश्य रूप से 50 वर्षो से चला आ रहा है। उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे में नहीं है और ना किसी भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा अथवा अतिक्रमण ही है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक की भूमि के पश्चिम में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बना हुआ है। यदि तर्क के लिए वादग्रस्त भूमि को नाला भूमि माना जावें तो कथित नाला उक्त स्कूल द्वारा ही बंद किया जा चुका है। स्कूल के पास ही आर.ओ. पानी का प्लांट लगा हुआ है। स्कूल के लगते पक्की सड़क बनी हुई और सड़क के दोनों ओर आबादी बसी हुई है। खसरा संख्या 505/135 की भूमि भी श्री इकबाल पुत्र बशीर खां जी के खातेदारी की भूमि है, जो खाल खद्दर है। खसरा संख्या 505/135 की भूमि बंदोवस्ती के पूर्व खसरा संख्या 109 का हिस्सा थी। खसरा संख्या 109 की प्रकृति बंजर भूमि थी। अप्रार्थी संख्या एक ने अपने खातेदारी की भूमि पर खेती की है और अपनी भूमि पर खेती करने का अप्रार्थी संख्या एक को विधिक अधिकार है। अप्रार्थी संख्या एक ने अपनी भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया है और ना अप्रार्थी संख्या एक के किसी कृत्य से पानी के बहाव में अवरोध व बाधा उत्पन्न हुई है। यदि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नाले की भूमि पर अतिक्रमण किया गया होता तो वर्षा के समय पानी के बहाव से भूमि का भारी कटाव हो चुका होता और भूमि पानी के साथ आने वाली बजरी से नष्ट हो चुकी होती व खेती योग्य ही नहीं रहती। यदि पानी का बहाव अप्रार्थी संख्या एक की भूमि की ओर ही होता तो अप्रार्थी संख्या एक की भूमि के ऊपर स्थित स्कूल, उसके लगती सड़क व सड़क के दूसरे किनारे स्थित मकानात भी अस्तित्व में नहीं रहते। प्रश्नगत भूमि के आसपास में बनी आवासीय कॉलोनी तलहटी में होने से पहाड़ों से वर्षा का पानी आना स्वाभाविक है। यह कि खसरा संख्या 135/1 की भूमि अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे में नहीं है। प्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा अप्राथी संख्या एक की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त खसरा संख्या 531/135 की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर हड़प करने की बदनियत से दिनांक 10.10.2021 को प्रार्थीगण ने एक साथ होकर अप्राथी संख्या एक की कृषि भूमि में लगी कांटों की बाड को तोड़कर भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर भूमि के कुछ भाग पर ईंट, बजरी, पत्थर आदि डलवा कर मौके पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया था, जिसकी जानकारी होने पर अप्राथी संख्या एक ने प्रार्थी संख्या एक व दो के परिजनों के अवैध कृत्य को रूकवाने हेतु पुलिस थाना आबूरोड सदर में मुकदमा दर्ज करवाया एवं अप्राथी संख्या तीन को उपरोक्त कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करने हेतु लिखित आवेदन दिनांक 11.10.2021 को पेश किया। जिस पर हल्का पटवारी व पुलिस द्वारा मौके पर आकर प्रार्थीगण के अवैध रूप से अतिक्रमण कर अप्रार्थी संख्या एक की कृषि भूमि में किए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाया। पटवारी भू अभिलेख मानपुर, आबूरोड द्वारा अप्रार्थी संख्या एक एवं प्रार्थीगण व

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 06

उनके परिजनों के समक्ष सीमा ज्ञान और मौका फर्द दिनांक 22.11.2021 को तैयार की गई थी। सीमा ज्ञान में अप्रार्थी संख्या एक की कृषि भूमि के अंदर प्रार्थी संख्या एक व प्रार्थी संख्या दो के पिता अयूब खां का अतिक्रमण होना पाया और भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबंद कर विडियो भी बनाया गया। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से नहीं आए है और अप्रार्थी संख्या एक की भूमि को हड़पने के दुराशय से उक्त मिथ्या व कूटरिचत तथ्यों पर आधारित आवेदन पेश किया है। यह कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण के अवधि मध्य होने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किए है। अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि का आवंटन होने की जानकारी किस प्रकार व कब हुई. यह भी प्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थीगण ने आवंटन के आदेश की प्रति कब प्राप्त की, यह भी स्पष्ट नहीं किया है। उक्त परिस्थिति में प्रार्थीगण द्वारा 31 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण किसी भी विधि में अवधि मध्य नहीं है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया ही खारिजगी काबिल है। उक्त से असंगत हुए बिना निवेदन है कि खसरा संख्या 135 व 135 मीन बदोंवस्ती विभाग द्वारा करीब 70 वर्ष पूर्व खसरा संख्या 109 व 112 के विभाजन करने से बने है। उक्त विभाजन के आदेश को चुनौती देने का प्रार्थीगण को अधिकार ही नहीं है तथापि प्रकरण उक्त अवधि से अंदर म्याद नहीं है। यह कि धारा 14 (4) के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि के खातेदार बन चुके है। खातेदारी अधिकार उक्त प्रकरण में निरस्त नहीं किए जा सकते है। आवेदन अतः अन्यथा भी खारिजगी काबिल है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज कराना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा किए गए आंवटन आदेश की पालना में मौजा उमरणी पटवार हल्का मानपुर, तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 135 मीन रकबा 0.10 बीघा किस्म भूमि नहरी प्रथम का अप्रार्थी संख्या एक श्री वहीद खां पुत्र श्री बशीर खां निवासी उमरणी के नाम बतौर गैर खातेदार का नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 04.08. 1992 दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अवहेलना नहीं की गई है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम उमरणी का खसरा संख्या 531/135 रकबा 0.1265 हैक्टेयर किस्म नहरी–1 भूमि वहीद खां पुत्र श्री वशीर खां जाति मुसलमान सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है।

अप्रार्थी संख्या चार की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा उमरनी पटवार हल्का मानपुर तहसील आबूरोड में खसरा संख्या 135 की कुल 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि कभी भी गैर मुमकिन नाला के रूप में नहीं रही है। खसरा संख्या 135 की भूमि में से कभी कोई नाला नहीं रहा है, न ही उक्त भूमि कभी भी नाले की भूमि रही है। खसरा संख्या 135 की भूमि अप्रार्थी संख्या 4 के खातेदारी की कृषि भूमि है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशनों में पारित निर्णयों व प्रतिपादित सिद्धांतों अनुसार प्रतिबन्धित किस्म अप्रार्थी की भूमि की किस्म नहीं है और उक्त निर्णयों से अप्रार्थी की भूमि का कोई संबंध नहीं है और ना ही कथित निर्णय वर्तमान प्रकरण में प्रासंगिक ही है। यह कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या एक वहीद खां पुत्र बशीर खां के नाम नियमानुसार आवंटन किया गया है। खसरा संख्या 135 की भूमि श्री वहीद खां को आवंटन करने के पश्चात् उसका गैर खातेदारी का नामांतरकरण संख्या 181 दिनांक 04.08.1992 को

....पेज नं. 07

जिला कलेक्टर, सिरोही

दर्ज किया गया और उसका नियमानुसार कब्जा काश्त चला आने से उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी प्रकार के किसी भी नियम की अवेहलना नहीं की गयी है। उक्त कृषि भूमि नियमानुसार आवंटित हुई है तथा उक्त कृषि भूमि पर शुरूआत से ही अप्रार्थी संख्या एक काश्त करता आ रहा था। अप्रार्थी संख्या एक को रकम की आवश्यकता होने से उसने वादग्रस्त कृषि भूमि का किमतन रूपये 1,19,000/– में बेचान अप्रार्थी संख्या चार को कर मौके पर कब्जा सुपूर्द किया एवं उसका नियमानुसार विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 16.01.2023 को उपपंजीयक कार्यालय, आबूरोड में निष्पादित करवाया, तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या चार के नाम नामांतरकरण संख्या 692 दिनांक 21.03.2023 को भरा गया है एवं अप्रार्थी संख्या चार बतौर खातेदार अपने हक जताते व बताते खसरा संख्या 531/135 रकबा 0.1265 हैक्टेयर किस्म नहरी प्रथम पर काबिज काश्त है। यह कि प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का किसी प्रकार का कोई कारण पैदा नहीं होता है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा 50 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा था। अप्रार्थी संख्या एक को वादग्रस्त कृषि भूमि का आवंटन दिनांक 28.05.1992 को कर उसका नामांतरकरण दिनांक 04.08.1992 को भरा गया है। उसके पश्चात् खातेदारी का नामांतरकरण दर्ज कर अप्रार्थी संख्या एक को खातेदार घोषित किया गया है तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या चार बतौर खातेदार काबिज काश्त है। यह कि प्रार्थीगण ने आवंटन के लगभग 31 वर्ष पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया है जो अवधि बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे खारिज कराना फरमायें।

मैनें दोनो पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलिभांति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा उमरणी पटवार हल्का मानपुर, तहसील सिरोही जिला सिरोही में खसरा नं. 135 मीन रकबा 10 बिस्वा किस्म नहरी प्रथम भूमि आई हुई है, जो उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा आदेश दिनांक 28.05.1992 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्री वहीद खां पुत्र श्री बशीर खां निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही के नाम आवंटन की गई थी, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 04.08.1992 के द्वारा आवंटित भूमि को श्री वहीद खां पुत्र श्री बशीर खां के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 275 के द्वारा आंवटी श्री वहीद खां पुत्र श्री बशीर खां को खातेदारी दर्ज की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा संख्या 135 मीन पर खातेदारी अधिकार मिलने के बाद श्री वहीद खां पुत्र श्री बशीर खां के द्वारा उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या चार श्रीमती भावना को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान कर दिया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि खसरा संख्या 135 मीन मूल खसरा संख्या 135 की भूमि है, जिसकी किस्म गैर मुमकिन नाला है तथा गैर मुमकिन नाले की भूमि को नहरी प्रथम भूमि बताकर अप्रार्थी संख्या एक ने कूटरचित तरीके से अपने नाम से आवंटन करवा लिया है, जबकि गैर मुमकिन नाले के भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशनों में पारित निर्णयों व प्रतिपादित सिद्धांतों अनुसार प्रतिबन्धित किस्म की भूमि है, जिसका आवंटन किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 08

सकता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किए गए मिलान क्षेत्रफल अनुसार मौजा उमरणी के खसरा संख्या 135 रकबा 1.14 बीघा की भूमि गत भू–माप के खसरा संख्या 110 की भूमि का हिस्सा थी तथा खसरा संख्या 135 मीन रकबा 11 बिस्वा की भूमि गत भू–माप के खसरा संख्या 112 की भूमि का हिस्सा थी। अतः खसरा संख्या 135 एवं खसरा संख्या 135 मीन बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किए गए मिलान क्षेत्रफल अनुसार अलग–अलग खसरा संख्या क्रमशः 110 एवं 112 से बने हुए है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 135 तथा खसरा संख्या 135 मीन का परस्पर कोई संबंध नहीं रहा है। खसरा संख्या 135 मीन गत भू–माप के खसरा संख्या 112 की भूमि में से बना है तथा जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त संवत 1999 के अनुसार मौजा उमरणी के खसरा संख्या 112 की भूमि श्री नानू वल्द भुवाना कुम्हार सा. खराडी के नाम दर्ज थी, जिसकी किस्म खे०1 प०2 राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशनों में पारित निर्णयों व प्रतिपादित सिद्धांतों अनुसार प्रतिबन्धित किस्म की श्रेणी में नहीं आती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2029 के अनुसार मौजा उमरणी के खसरा संख्या 135 की किस्म गैर मुमकिन नाला राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किए गए मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा संख्या 135 एवं 135 मीन अलग–अलग खसरा संख्याओं से बने हुए होने से इनमें आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः जमाबन्दी संवत 2029 में खसरा संख्या 135 की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज होने से खसरा संख्या 135 मीन की किस्म को भी गैर मुमकिन नाला नहीं माना जा सकता है। अतः पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो यह साबित करता हो कि खसरा संख्या 135 मीन की किस्म कभी भी गैर मुमकिन नाला राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही हो। अतः प्रार्थीगण अधिवक्ता खसरा संख्या 135 मीन की किस्म गैर मुमकिन नाला होना साबित करने में असफल रहे है। चूंकि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 135 की किस्म गैर मुमकिन नाला साबित नहीं होने से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक प्रस्तुत दृष्टांत अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य, रेवडिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय एवं प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा यह माना गया है कि खसरा संख्या 135 मीन पर अप्रार्थी सख्या एक का कब्जा है एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ताओं द्वारा भी यह माना गया है कि खसरा संख्या 135 मीन पर अप्रार्थी संख्या एक का पुराना कब्जा है। अतः प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि खसरा संख्या 135 मीन पर अप्रार्थी संख्या एक का पुराना कब्जा है तथा पुराने कब्जे के आधार पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा खसरा संख्या 135 मीन रकबा 10 बिस्वा किस्म नहरी प्रथम भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या एक के हक में किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 135 मीन वर्तमान खसरा संख्या 531/135 की भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, जबकि राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन निरस्त नहीं करने का सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल, राज. अजमेर द्वारा **आरआरडी 1986** पेज 137 (एकल पीठ) **आरआरडी 1987** पेज 371 (वृहद पीठ) एवं 359 (एकल पीठ), **आरआरडी 1999** पेज 128 (माननीय उच्च न्यायालय) द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता द्वारा विधित दृष्टांत आरआरटी 2014(2) पेज नं. 1150

....पेज नं. 09

जिला कलेक्टर, सिरोही

मंगला व अन्य बनाम सरकार, आरआरटी 2001(2) पेज नं. 999 शंकरलाल बनाम सरकार, आरआरटी 2001(2) पेज नं. 1219 बदरी बाई बनाम राजाराम, आरआरटी 2016 पेज नं. 82 सरकार बनाम जसोदा व अन्य, **आरआरटी 2019(2)** पेज 838 नोर्टन व अन्य बनाम राम सहाय व अन्य, आरआरटी 2021(2) पेज नं. 1029 सरकार बनाम गोपीराम उर्फ जयदीपसिंह, **आरआरडी जून 2005 पेज नं. 365 सरकार बनाम तेजा व अन्य**, प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त विधिक दृष्टांतो में विलम्ब से प्रस्तुत एवं खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के बाद राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत आवंटन निरस्त के प्रकरण खारिज किये गये है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत पर मनन किया, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एआईआर 1994 पेज 1128, आरबीजे 1995 पेज 1780 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। चूंकि प्रकरण में आंवटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रथमदृष्टया परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, सिरोही